

महिला सहभागिता और बदलता भारतीय राजनीतिक परिदृश्य

Dr. Kiran Punia

Associate Professor in Political Science, Shri Govind Guru Govt. College, Banswara, Rajasthan, India

सार

हाल ही में "लोकनीती CSDS (Centre for Study of Developing Societies) और कोनराड एडेनॉयर स्टिफ्टिंग (Konrad Adenauer Stiftung)" ने एक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारतीय महिलाओं और उनकी राजनीतिक सक्रियता से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन किया गया।

सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी:

- सर्वेक्षण में पाया गया कि महिलाओं की चुनावी भागीदारी में उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति का विशेष प्रभाव होता है। उच्च सामाजिक वर्ग (जाति) व आर्थिक वर्गों की महिलाओं में राजनीतिक भागीदारी अधिक पाई गई, जबकि निम्न सामाजिक-आर्थिक तबके की महिलाओं में यह भागीदारी अत्यधिक कम थी।
- हालाँकि पिछले कुछ वर्षों में चुनावों में मतदाता के रूप में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है। अनेक राज्यों में हुए विभिन्न चुनावों में महिलाएँ पुरुषों के समान मतदान कर रही हैं, जबकि कई स्थानों पर वे पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान कर रही हैं।
- इसके अलावा महिलाएँ अपनी राजनैतिक पसंद को लेकर भी स्वायत्त हो रही हैं किंतु यह प्रचलन भी शहरी क्षेत्र की तथा शिक्षित महिलाओं में अधिक देखा गया।

राजनीति में पुरुषों का वर्चस्व:

- इस सर्वेक्षण के माध्यम से यह ज्ञात हुआ कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में पुरुषों का वर्चस्व मुख्य बाधकों में से एक है। 50 वर्ष से अधिक उम्र की दो-तिहाई महिलाओं का मानना है कि पुरुषों के राजनीतिक वर्चस्व के कारण महिलाओं को राजनीति में अवसर नहीं मिलता, जबकि 20-25 वर्ष की आधी महिलाओं की राय इसके विपरीत है।
- इसके अलावा अधिकांश महिलाओं का मानना है कि भारतीय मतदाता महिलाओं की तुलना में पुरुष उम्मीदवारों के पक्ष में अधिक मत देते हैं।
- राजनीतिक अवसरों में किसी चुनाव लड़ना, राजनीतिक दल का टिकट मिलना तथा चुनाव जीतने की प्रायिकता आदि को शामिल किया गया है।

परिचय

सामाजिक-राजनीतिक पृष्ठभूमि:

- सर्वेक्षण के माध्यम से यह पता चला कि किसी महिला के लिये राजनीति में भाग लेने के लिये उसकी पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण है। अधिकांश महिलाओं ने यह माना कि ऊँची जाति की महिलाओं के लिये राजनीति में हिस्सा लेना आसान है, जबकि निम्न जाति की महिलाओं के लिये यह तुलनात्मक रूप से कठिन है।
- इसके अलावा राजनीतिक पृष्ठभूमि वाली महिला के लिये किसी गैर-राजनीतिक पृष्ठभूमि वाली महिला की तुलना में राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना आसान है।

**International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering,
Technology & Management (IJMRSETM)**

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 4, Issue 11, November 2017

घरेलू स्तर पर राजनीतिक निर्णयन में पितृसत्ता का प्रभाव:

- अधिकांश महिलाओं का मानना है कि घरों में राजनीतिक निर्णय लेने में उन्हें कम स्वायत्तता प्राप्त होती है। इसका मुख्य कारण पितृसत्तात्मक समाज तथा रूढ़िवादी सामाजिक ढाँचा है।

राजनीतिक समाचारों में रुचि:

- इस सर्वेक्षण द्वारा यह पाया गया कि 71% महिलाओं ने विभिन्न माध्यमों से राजनीतिक समाचारों को पढ़ने में रुचि प्रदर्शित की। ये माध्यम मीडिया, न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप आदि हो सकते हैं।
- समाचारों में रुचि भी महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के अनुसार प्रभावित होती है। उच्च सामाजिक-आर्थिक वर्ग की महिलाओं में यह प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है।
- इसके अलावा कम उम्र की कॉलेज में पढ़ने वाली, अविवाहित तथा शहरी महिलाओं में राजनीतिक समाचारों के प्रति रुचि अधिक होती है।

सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक भागीदारी:

- सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीति में भागीदारी करने के मामले में महिलाओं की संख्या काफी कम है।
- सर्वेक्षण में केवल 17% महिलाओं ने स्वीकार किया कि वे किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया पर राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, जबकि 83% महिलाओं ने कहा कि सोशल मीडिया पर राजनीतिक रूप से बिल्कुल सक्रिय नहीं हैं।

राजनीतिक भागीदारी में महिलाओं की स्वायत्तता:

- हालाँकि विगत कुछ वर्षों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हुई है लेकिन सर्वेक्षण में लगभग 66% महिलाओं ने कहा कि वे राजनीतिक निर्णय लेने के मामले में अभी भी स्वायत्त नहीं हैं।

राजनीति में महिलाओं की कम भागीदारी के निम्नलिखित कारण हैं:

पितृसत्तात्मक समाज:

- राजनीति में महिलाओं की कम भागीदारी के मुख्य कारणों में पितृसत्तात्मक समाज तथा इसकी संरचनात्मक कमियाँ हैं। इसकी वजह से महिलाओं को कम अवसर मिलते हैं तथा वे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में पुरुषों से काफी पीछे रह जाती हैं।
- लगभग एक-तिहाई महिलाओं ने पितृसत्तात्मक समाज को उनकी राजनीतिक भागीदारी में बाधा के रूप में देखा।

घरेलू जिम्मेदारियाँ:

- सर्वेक्षण में अधिकांश महिलाओं ने स्वीकार किया कि घरेलू जिम्मेदारियाँ जैसे- बच्चों की देखभाल, घर के सदस्यों के लिये खाना बनाना व अन्य पारिवारिक कारणों से वे राजनीति में भाग नहीं ले पातीं।
- लगभग 13% महिलाओं ने राजनीति में उनकी कम भागीदारी के लिये घरेलू जिम्मेदारियों को कारण माना।

व्यक्तिगत कारण:

- कई महिलाएँ व्यक्तिगत कारणों की वजह से भी राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेतीं। ये व्यक्तिगत कारण हैं- राजनीति में रुचि न होना, जागरुकता का अभाव, शैक्षिक पिछड़ापन आदि।
- लगभग 10% महिलाएँ व्यक्तिगत कारणों से राजनीति में हिस्सा लेने में सक्षम नहीं हैं।

सांस्कृतिक प्रतिबंध एवं रूढ़िवाद:

- सांस्कृतिक मानदंडों तथा रूढ़िवादिता के कारण भी महिलाएँ राजनीति में भाग नहीं ले पातीं। सांस्कृतिक प्रतिबंधों में पर्दा प्रथा, किसी अन्य पुरुष से बातचीत न करना, महिलाओं का बाहर न निकलना आदि शामिल हैं।

**International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering,
Technology & Management (IJMRSETM)**

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 4, Issue 11, November 2017

- लगभग 7% महिलाओं ने माना की सांस्कृतिक कारणों से वे राजनीति में भाग नहीं लेतीं।

सामाजिक-आर्थिक कारण:

- कमज़ोर सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि भी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में अवरोध उत्पन्न करते हैं।

राजनीति की नकारात्मक छवि:

- आम लोगों में राजनीति की नकारात्मक छवि तथा इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से भी महिलाएँ राजनीति में कम रूचि लेती हैं।

महिलाओं को लेकर राजनीतिक दलों की उदासीनता:

- राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर देश के राजनीतिक दलों तथा सरकारों ने उदासीनता प्रदर्शित की है।
- प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill), जो कि संसद तथा राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिये आरक्षण का प्रावधान करता है, को पारित करने में सभी राजनैतिक दल निरुत्साहित प्रतीत होते हैं।
- इसका मुख्य कारण यह है कि पुरुष राजनीतिज्ञों को इस बात का भय रहता है कि महिलाओं के निर्वाचन से उनके दोबारा चुने जाने की संभावना कम या समाप्त हो सकती है जिसके लिये वे तैयार नहीं हैं।

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हेतु आवश्यक उपाय:

संसद में महिलाओं के लिये आरक्षण:

- हालाँकि भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधन द्वारा महिलाओं के लिये स्थानीय निकाय की एक-तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है लेकिन राजनीति में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये अन्य प्रयास किये जाने की भी आवश्यकता है।
- महिलाओं को लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण प्रदान करने संबंधी महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल पुरःस्थापित एवं पारित किये जाने की आवश्यकता है।

राजनीतिक दलों में महिलाओं के लिये आरक्षण:

- यद्यपि यह कदम महिला सांसदों की संख्या में वृद्धि के संबंध में कोई ठोस आश्वासन प्रदान नहीं करता है किंतु राजनीति में महिलाओं की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिये यह ठोस कदम हो सकता है।
- विश्व के कई देशों में यह प्रावधान किया गया है जैसे- स्वीडन, नॉर्वे, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस आदि।

महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु माहौल प्रदान करना:

- राजनीति व अन्य विविध क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये आवश्यक है कि समाज में प्रत्येक स्तर पर महिला सशक्तीकरण तथा उनकी सामुदायिक भागीदारी के लिये प्रयास किये जाएँ ताकि उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता आदि गुणों का विकास हो।

विचार-विमर्श

अपेक्षा की जाती है कि भारत वर्ष 2030 तक संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका की 1.6% की तुलना में 6.8% की दर से विकास करेगी। लेकिन भारत के इस आशाजनक आर्थिक विकास के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में महिलाओं की भागीदारी अभी भी अनुरूप गति नहीं पा सकी है।

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 4, Issue 11, November 2017

हाल के समय में भारतीय चुनावों में एक आश्चर्यजनक व्यतिरेक दिखाई पड़ा है। देश में महिला मतदाताओं द्वारा मतदान में वृद्धि हुई है जहाँ वर्ष 2014 में संपन्न हुए चुनावों में आठ में से सात राज्यों में महिला मतदान में उछाल देखा गया।

यह स्थिति आशाजनक प्रतीत होती है, लेकिन स्थानीय चुनावों, राज्य चुनावों और लोकसभा चुनावों में महिला मतदाताओं का यह बढ़ता अनुपात स्वयं महिलाओं द्वारा वृहत रूप से चुनाव लड़ने के रूप में परिलक्षित नहीं हुआ है।

इस परिदृश्य में, राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की राह में मौजूद बाधाओं को दूर करना समय की मांग है। लैंगिक समता प्राप्त करने के लिये और यह सुनिश्चित करने के लिये कि महिलाओं को राजनीति में भाग लेने का समान अवसर मिले, नीति निर्माताओं, नागरिक समाज संगठनों और आम जनता को मिलकर कार्य करना होगा।

राजनीति और नौकरशाही के क्षेत्र में महिलाओं की वर्तमान स्थिति

■ राजनीति में:

- अंतर-संसदीय संघ (Inter-Parliamentary Union- IPU) द्वारा संकलित आँकड़ों के अनुसार, भारत में 17वीं लोकसभा में कुल सदस्यता में महिलाएँ मात्र 14.44% का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की नवीनतम उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, महिलाएँ संसद के सभी सदस्यों के मात्र 10.5% का प्रतिनिधित्व करती हैं (अक्टूबर 2014 तक की स्थिति के अनुसार)।
 - राज्य विधानसभाओं के मामले में महिला विधायकों (MLAs) का प्रतिनिधित्व औसतन 9% है।
 - इस संबंध में भारत की रैंकिंग में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई है। यह वर्तमान में पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है।

■ नौकरशाही में:

- केंद्र और राज्य स्तर पर विभिन्न लोक सेवा नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी इतनी कम है कि महिला उम्मीदवारों के लिये निःशुल्क आवेदन की सुविधा प्रदान की गई है।
- इसके बावजूद, भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के आँकड़ों और वर्ष 2011 की केंद्र सरकार की रोजगार जनगणना के अनुसार, इसके कुल कर्मियों में 11% से भी कम महिलाएँ थीं, जिनकी संख्या वर्ष 2015 में 13% तक दर्ज की गई।
- इसके अलावा, वर्ष 2014 में IAS में सचिव स्तर पर केवल 14% महिलाएँ कार्यरत थीं।
 - सभी भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की साथ गणना करें तो भी केवल तीन महिलाएँ मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं।
- भारत में कभी कोई महिला कैबिनेट सचिव नहीं बनी। गृह, वित्त, रक्षा और कार्मिक मंत्रालय में भी कभी कोई महिला सचिव नहीं रही हैं।

■ अन्य क्षेत्र:

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के स्वामियों में केवल 20.37% महिलाएँ हैं, मात्र 10% स्टार्ट-अप महिलाओं द्वारा स्थापित किये गए हैं और श्रम बल में महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 23.3% है।

राजनीति और नौकरशाही में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम क्यों है?

■ पितृसत्तात्मक मानसिकता:

- भारत एक गहन पितृसत्तात्मक समाज है और महिलाओं को प्रायः पुरुषों से हीन माना जाता है।
- यह मानसिकता समाज में गहराई तक समाई हुई है और महिलाओं की राजनीति में नेतृत्व एवं भागीदारी की क्षमता के संबंध में लोगों की सोच को प्रभावित करती है।

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 4, Issue 11, November 2017

- सामाजिक मानदंड और रूढ़िवादिता:
 - भारत में महिलाओं से प्रायः पारंपरिक लिंग भूमिकाओं के अनुरूप व्यवहार की उम्मीद की जाती है और उन्हें राजनीति में करियर बनाने से हतोत्साहित किया जाता है। सामाजिक मानदंड और रूढ़िवादिता यह निर्धारित करती है कि महिलाओं को पत्नियों एवं माताओं के रूप में अपनी भूमिकाओं को प्राथमिकता देनी चाहिये, जबकि राजनीति को प्रायः पुरुषों का क्षेत्र माना जाता है।
- शिक्षा तक पहुँच का अभाव:
 - भारत में महिलाओं की ऐतिहासिक रूप से शिक्षा तक सीमित पहुँच रही है, जिसने राजनीति में भागीदारी की उनकी क्षमता को बाधित किया है। यद्यपि हाल के वर्षों में परिदृश्य में कुछ सुधार आया है, फिर भी बहुत-सी महिलाओं में अभी भी राजनीतिक पद पर कार्य कर सकने हेतु आवश्यक शिक्षा एवं कौशल की कमी है।
 - शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (Annual Status of Education Report- ASER) 2015 के अनुसार, 6-10 वर्ष आयु के बीच के 5.5% बच्चे और 11-14 वर्ष आयु के बीच के 15.9% बच्चे स्कूल में नामांकित नहीं थे।
- राजनीतिक दलों में सीमित प्रतिनिधित्व:
 - महिलाओं को राजनीतिक दलों में प्रायः कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जिससे उनके लिये अपने दलों में विभिन्न पदों से गुजरते हुए आगे बढ़ना और चुनाव के लिये दल का नामांकन प्राप्त करना कठिन हो जाता है।
 - प्रतिनिधित्व की इस कमी को राजनीतिक दलों के भीतर मौजूद लैंगिक पूर्वाग्रह और इस धारणा का परिणाम माना जा सकता कि महिलाएँ पुरुषों की तरह चुनाव जीतने योग्य नहीं होतीं।
- हिंसा और उत्पीड़न:
 - राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय महिलाओं को प्रायः हिंसा और उत्पीड़न (भौतिक एवं ऑनलाइन दोनों रूप में) का शिकार होना पड़ता है, जो फिर महिलाओं को राजनीति में प्रवेश या विभिन्न मुद्दों पर मुखर होने से हतोत्साहित कर सकता है। राजनीति में सुरक्षित एवं समावेशी अवसर की कमी महिलाओं की भागीदारी के मार्ग में एक प्रमुख बाधा है।
- असमान अवसर:
 - राजनीति में महिलाओं को प्रायः कम वेतन, संसाधनों तक कम पहुँच और सीमित नेटवर्किंग जैसे असमान अवसरों की स्थिति का सामना करना पड़ता है। यह असमानता महिलाओं के लिये पुरुष उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करना और राजनीति में सफल होना चुनौतीपूर्ण बना सकती है।
- संरचनात्मक बाधाएँ:
 - महिला सशक्तिकरण के लिये संरचनात्मक बाधाएँ आम तौर पर वे प्राथमिक समस्याएँ हैं जो उनके लिये सेवाओं का अंग बनना कठिन बनाती हैं।
 - दूरस्थ संवर्गों में पदस्थापन, पितृसत्तात्मक कंडीशनिंग और नौकरी विशेष की आवश्यकताओं एवं मांगों के साथ पारिवारिक प्रतिबद्धताओं के संतुलन जैसी सेवा शर्तें ऐसे कुछ सामाजिक कारक हैं जो महिलाओं को सिविल सेवाओं से बाहर रखने में योगदान करते हैं।
 - इसके अलावा, एक आम धारणा यह है कि महिलाओं को समाज कल्याण, संस्कृति, महिला एवं बाल विकास जैसे 'सॉफ्ट' मंत्रालयों के लिये प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

राजनीति में महिलाओं का अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व कैसे किया जा सकता है?

- सीटों का आरक्षण:
 - राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक यह है कि विधायी निकायों में महिलाओं के लिये सीटें आरक्षित की जाएँ।

**International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering,
Technology & Management (IJMRSETM)**

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 4, Issue 11, November 2017

- बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में इसे लागू किया गया है, जहाँ स्थानीय निकायों में कुल सीटों के कुछ प्रतिशत महिलाओं के लिये आरक्षित हैं।
- राजनीतिक दलों द्वारा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना:
 - राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि चुनावों के लिये उम्मीदवारों के चयन में वे महिलाओं को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करें।
 - उन्हें महिला उम्मीदवारों के चयन का प्रयास करना चाहिये और आसानी से जीतने योग्य सीटों पर उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिये।
- शिक्षा और प्रशिक्षण:
 - राजनीति में भागीदारी हेतु महिलाओं को सशक्त करने के लिये शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा सकते हैं।
 - इससे महिलाओं को अपना आत्मविश्वास एवं कौशल विकसित करने और राजनीति की जटिलताओं को समझने में मदद मिलेगी।
- स्थानीय महिला नेताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना:
 - स्थानीय महिला नेताओं को प्रोत्साहन और समर्थन देकर राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सकता है। परामर्श कार्यक्रमों और अन्य सहायता पहलों के माध्यम से इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है।
- राजनीति में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को संबोधित करना:
 - राजनीति में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उनके प्रभावी प्रतिनिधित्व के लिये एक प्रमुख बाधा है। इस समस्या के समाधान के लिये और राजनीति में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये जागरूकता का प्रसार करने, सुरक्षित वातावरण का निर्माण करने जैसे विभिन्न कदम उठाये जाने चाहिये।
- सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करना:
 - राजनीति में महिलाओं का प्रभावी प्रतिनिधित्व पितृसत्ता एवं लैंगिक मानदंडों जैसी सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं से प्रभावित हो सकता है। इन मुद्दों को विभिन्न अभियानों, शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रमों और 'बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ', सुकन्या समृद्धि योजना जैसे सामाजिक सुधार पहलों के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिये।
- कार्य-जीवन संतुलन के लिये सहायता प्रदान करना:
 - कई महिलाओं को अपने परिवार एवं निजी जीवन के साथ अपनी राजनीतिक ज़िम्मेदारियों को संतुलित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लचीले शेड्यूल, बाल देखभाल और मातृ/पितृ अवकाश (Parental leave) जैसे उपायों के माध्यम से कार्य-जीवन संतुलन (Work-life balance) को समर्थन प्रदान कर इस मुद्दे को हल किया जा सकता है।
 - हाल ही में केरल सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी राज्य विश्वविद्यालयों में छात्राओं के लिये मासिक धर्म अवकाश की घोषणा की है।
- दृश्यता और मान्यता बढ़ाना:
 - राजनीति में सक्रिय महिलाओं को उनकी उपलब्धियों के लिये अधिक दृश्यता और मान्यता प्रदान की जानी चाहिये।
 - यह अन्य महिलाओं को राजनीति से संलग्न होने के लिये प्रेरित करने और राजनीति के क्षेत्र में वृहत लैंगिक समानता की संस्कृति का निर्माण करने में मदद कर सकता है।

राजनीतिक भागीदारी' शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। यह न केवल 'वोट के अधिकार' से संबंधित है, बल्कि इसके साथ-साथ: निर्णय लेने की प्रक्रिया, राजनीतिक सक्रियता, राजनीतिक चेतना आदि में भागीदारी से भी संबंधित है। पुरुषों की तुलना

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 4, Issue 11, November 2017

में। राजनीतिक सक्रियता और मतदान महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के सबसे मजबूत क्षेत्र हैं। राजनीति में लैंगिक असमानता का मुकाबला करने के लिए, [भारत सरकार] ने स्थानीय सरकारों में सीटों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है।

पुरुषों के लिए 67.09% मतदान की तुलना में भारत के संसदीय आम चुनावों के दौरान महिलाओं का मतदान 65.63% था। संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत नीचे से 20वें स्थान पर है।^[1] महिलाओं ने भारत में राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पद भी संभाले हैं। भारतीय मतदाताओं ने कई दशकों तक कई राज्यों की विधानसभाओं और राष्ट्रीय संसद के लिए महिलाओं को चुना है।

महिलाओं के मताधिकार के लिए आंदोलन 1900 की शुरुआत में मताधिकार के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन के जवाब में शुरू हुआ, हालांकि 1947 से पहले न तो पुरुषों और न ही महिलाओं के बहुमत को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को वोट देने का अधिकार था। ब्रिटेन से भारतीय स्वतंत्रता के बाद, भारतीय संविधान में 1950 ने आधिकारिक तौर पर महिलाओं और पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया। सार्वभौमिक मताधिकार से पहले, प्रांतीय विधानसभाओं ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया था।

1921 में मद्रास महिलाओं को मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश था, लेकिन केवल उन्हीं पुरुषों और महिलाओं को, जिनके पास ब्रिटिश प्रशासन के रिकॉर्ड के अनुसार भूमि संपत्ति थी।^[6] मताधिकार की दिशा में आंदोलन के जवाब में दिए गए अधिकार साक्षरता और संपत्ति के स्वामित्व की योग्यता तक सीमित थे, जिसमें पतियों की संपत्ति का स्वामित्व भी शामिल था।^[5] इसने अधिकांश भारतीय महिलाओं और पुरुषों को मतदान से बाहर कर दिया, क्योंकि वे गरीब थे। यह 1950 में बदल गया जब सभी वयस्क भारतीय नागरिकों को सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया।

1950 में, सार्वभौमिक मताधिकार ने सभी महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में निहित है। भारत दो सदनों वाली एक संसदीय प्रणाली है: लोकसभा (निम्न सदन) और राज्य सभा (उच्च सदन)। 1962 में लोकसभा चुनावों में महिलाओं की भागीदारी की दर 46.63% थी और 1984 में बढ़कर 58.60% हो गई। इसी अवधि के दौरान पुरुष मतदान 1962 में 63.31% और 1984 में 68.18% था।

पुरुष और महिला मतदाताओं के बीच का अंतर 1962 में 16.7% के अंतर के साथ 2009 में 4.4% तक कम हो गया है।^[7]

पिछले 50 वर्षों में राष्ट्रीय चुनावों के लिए मतदान 50 से 60% के बीच स्थिर रहा है। राज्य के चुनावों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है, और कुछ मामलों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक है।^[8] 2012 के विधानसभा चुनावों (विधायी/राज्य विधानसभाओं) में महिलाओं के मतदान में वृद्धि दर्ज की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 58.82% से 60.29% मतदान हुआ था। 2013 के विधानसभा चुनावों में, महिलाओं का कुल मतदान 47.4% और पुरुष मतदान 52.5% बताया गया था। भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम 2013 में, दमन और दीव, और पुडुचेरी सभी ने पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अधिक मतदान की सूचना दी।^[9]

भारत में अमीर और गरीब दोनों राज्यों में भागीदारी बढ़ रही है। मतदाताओं का लिंगानुपात 1960 के दशक में प्रति 1,000 पुरुष मतदाताओं पर 715 महिला मतदाताओं से बढ़कर 2000 के दशक में 883 महिला मतदाताओं तक पहुंच गया है।^[10] भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने मतदाता सूची को साफ करके और लापता या मृत सदस्यों को हटाकर मतदाता मतदान बढ़ाने की मांग की है। मतदाता आउटरीच में घर-घर जाकर मतदाता पंजीकरण शामिल है, और 2014 के चुनावों में, मतदाता मतदान बढ़ाने के लिए मतदाताओं को मतदान केंद्र की जानकारी के साथ एक फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा।^[8]^[11] भारत में मतदान प्रतिशत में वृद्धि आंशिक रूप से महिला मतदाताओं के कारण भी है। ईसीआई ने महिलाओं के बीच मतदाता पंजीकरण और कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसरों में शिक्षा और आउटरीच के माध्यम से भागीदारी को प्रोत्साहित करने की मांग की है। बढ़ती भागीदारी को मतदान केंद्रों पर बढ़ी हुई सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार ठहराया गया है।^[12]

भारत में न्यायगत शक्तियों के साथ सरकार का एक संघीय रूप है। मतदाता एक राष्ट्रीय संसद के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं का चुनाव करने के लिए मतदान करते हैं। 2012 में, भारत में राष्ट्रीय संसद में निर्वाचित प्रतिनिधियों का न्यूनतम प्रतिशत 10.9% था, जो हंगरी (8.8%), ब्राजील (9.6%), चीन (9.1%), और मलेशिया (9.8%) से अपेक्षाकृत अधिक है।^[15]

राजनीतिक भागीदारी के एक व्यापक माप में चुनाव लड़ने वाली महिला उम्मीदवारों की संख्या और राज्य विधानसभाओं में महिलाएं शामिल हैं। विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक अध्ययनों के अनुसार, जो इस तरह के व्यापक पैमाने पर विचार करता है, भारत कई वर्षों से दुनिया भर में शीर्ष 20 देशों में स्थान पर है, 2013 में 9वें सर्वश्रेष्ठ के साथ - यह स्कोर भारत की राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी की तुलना में अधिक दर्शाता है। डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम।^[1]^[16]

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 4, Issue 11, November 2017

महिला मतदाताओं की कम भागीदारी को दूर करने के लिए, भारत ने 1994 में महिलाओं के लिए स्थानीय सरकारों में 33% सीटें आरक्षित करने के लिए संवैधानिक संशोधन (73वें और 74वें) में कोटा (आरक्षण) की स्थापना की।^[17] महिलाओं के लिए 33% लोकसभा और विधानसभा सीटों को आरक्षित करने के लिए महिला आरक्षण विधेयक (108वां संशोधन) राष्ट्रीय संसद में पेश किया गया है।^[18] विधेयक को अभी लोकसभा द्वारा पारित किया जाना है और कानून में हस्ताक्षर किया जाना है। महिलाओं के आरक्षण की चर्चा 1920 के दशक में शुरू हुई और 1930 के दशक तक जारी रही जब तक कि शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को मतदान करने की अनुमति देने के लिए ब्रिटेन के साथ समझौता नहीं किया गया। महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा 1974 में महिला आरक्षण की चर्चा फिर से शुरू की गई भारत में, लेकिन भारत ने 1994 तक स्थानीय सरकार में पूरी तरह से कोटा स्थापित नहीं किया था।^[19] भारत में स्थानीय शासी निकायों को पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) कहा जाता है और एक तिहाई सीटें और नेतृत्व के पद महिलाओं के लिए आरक्षित होने चाहिए। आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने आरक्षण को 50% तक बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय सरकार ने पीआरआई में आरक्षण के स्तर को बढ़ाकर 50% करने का भी प्रस्ताव दिया है।^[20]

महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को इस आश्वासन के लिए घुमाया जाता है कि प्रत्येक सीट के आरक्षित होने की समान संभावना है। महिला आरक्षण की स्थापना के बाद, महिलाओं में राजनीतिक भागीदारी 4-5% से बढ़कर 25-40% हो गई, और लाखों महिलाओं को स्थानीय सरकार में नेताओं के रूप में सेवा करने का अवसर मिला।^[21] ओडिशा, एक भारतीय राज्य, ने 73वें संशोधन से पहले आरक्षण की स्थापना की थी और 1992 में 28,069 महिलाएं निर्वाचित हुई थीं और 1997 में 28,595 महिलाएं। अध्यक्षों (सरपंच) के रूप में।^[17]

निर्वाचित पदों पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने की चिंता बनी हुई है। नेतृत्व की भूमिका के लिए महिलाओं को तैयार करने में प्रशिक्षण का मुद्दा एक बढ़ती हुई चिंता का विषय बन गया है। तमिलनाडु में यह पाया गया कि पंचायतों में प्रक्रियाओं को समझने के लिए महिलाओं में शिक्षा और प्रशिक्षण की कमी है।^[22] सरकार में महिलाओं की भागीदारी में परिवार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कनेक्शन के मामले में पारिवारिक प्रभाव महिला निर्वाचित अधिकारियों के लिए बाधा या समर्थन प्रणाली हो सकता है। पारिवारिक कनेक्शन महिलाओं को राष्ट्रीय और स्थानीय सरकार दोनों स्तरों पर निर्वाचित पदों की तलाश में मदद कर सकते हैं। पुरुष परिवार के सदस्यों के प्रतिनिधि के रूप में महिलाओं की भूमिका पर चिंता रही है, लेकिन नीतिगत निर्णयों पर महिलाओं का अभी भी महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।^[23] महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रभाव से पानी और सड़कों सहित सार्वजनिक वस्तुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। पेयजल और सड़क सुधार ऐसे मुद्दे हैं जो महिला निर्वाचित अधिकारियों द्वारा सबसे अधिक बार उठाए जाते हैं। पुरुषों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे सड़क, सिंचाई, शिक्षा और पानी हैं। महिलाओं द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा, बच्चों की देखभाल और मातृ स्वास्थ्य जैसे कल्याणकारी मुद्दों पर भी विचार किए जाने की संभावना है।^[23]

परिणाम

भारत में राष्ट्रीय स्तर पर 7 पंजीकृत पार्टियों के साथ एक बहुदलीय प्रणाली है।^[24] भारत में तीन सबसे बड़ी पार्टियां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी), भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) हैं।^[25] राजनीतिक दलों ने महिला मतदाताओं के बीच पहुंच बढ़ाई है क्योंकि भारत की पार्टी प्रणाली अधिक प्रतिस्पर्धी बन गई है। इसमें सबसे बड़ी पार्टियों में महिला विंग का निर्माण शामिल है। भाजपा की शाखा भाजपा महिला मोर्चा है, कांग्रेस की शाखा अखिल भारतीय महिला कांग्रेस है, और भाकपा की शाखा भारतीय महिलाओं का राष्ट्रीय संघ है।^[25]

राजनीतिक दलों में महिलाओं की भागीदारी समान अधिकारों की बढ़ती मांग से जुड़ी है। INC ने 1990 के दशक तक सत्ता संभाली थी। जैसे-जैसे कांग्रेस कल्याणकारी राजनीति से दूर होती गई, अन्य दल गरीबी को अपने एजेंडे के केंद्र के रूप में इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस को चुनौती देने लगे। कांग्रेस ने 2004 में महिलाओं की भागीदारी की मदद से फिर से सत्ता हासिल की।^[25] कांग्रेस ने पार्टी के सभी स्तरों में महिलाओं के लिए 33% कोटा स्थापित करके महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि की है। जून 2009 में, INC ने एक महिला को लोकसभा की पहली स्पीकर बनने के लिए नामांकित किया, और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के चुनाव का भी समर्थन किया।^[26] भाजपा की शुरुआती स्थापना में महिलाएं शामिल थीं। भाजपा ने महिला नेतृत्व कार्यक्रम, महिला उम्मीदवारों के लिए वित्तीय सहायता और पार्टी नेतृत्व के पदों पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करके महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित किया है।^[26] धर्म की परवाह किए बिना महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार देने के लिए समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके भाजपा को महिलाओं का समर्थन प्राप्त हुआ है। उन्होंने भारतीय महिलाओं के खिलाफ हिंसा के खिलाफ भी आवाज उठाई है। भाकपा ने लैंगिक असमानता के मुद्दों का भी समर्थन किया है जिसमें भारतीय महिलाओं के राष्ट्रीय संघ के माध्यम से हिंसा के मुद्दों को संबोधित करना शामिल है।^[27]

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 4, Issue 11, November 2017

1990 के दशक में महिलाओं की 10-12% सदस्यता के साथ राजनीतिक दलों में महिलाओं की भागीदारी कम रही।^[27] भारतीय महिलाओं ने भी अपने स्वयं के राजनीतिक दल बनाने की पहल की है, और 2007 में, संयुक्त महिला मोर्चा पार्टी बनाई गई थी, और संसद में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण को 50% तक बढ़ाने की वकालत की है।^[28] महिलाएं भारत के केवल चार राजनीतिक दलों पर शासन करती हैं। 1980 से 1970 तक, 4.3% उम्मीदवारों और 70% चुनावी दौड़ में कोई भी महिला उम्मीदवार नहीं थी।^[29] 2013 तक, यह बताया गया है कि लोकसभा में संसद सदस्यों की संख्या 11% और राज्यसभा में 10.6% महिलाएं थीं।^[30]

भारत में महिला संगठनों की शुरुआत सबसे पहले 1900 के दशक में और बाद में 1970 के दशक में 1950 से 1970 के दशक तक सीमित गतिविधि की अवधि के बाद हुई।^[34] सबसे शुरुआती महिला संगठनों में से एक, भारत स्त्री महामंडल, 1910 में गठित हुआ और महिलाओं को पुरुषों के उत्पीड़न से बचने में मदद करने पर केंद्रित था। पारंपरिक लिंग भूमिकाओं के विस्तार को सीमित करते हुए, महिलाओं के संघों ने पारंपरिक रूप से कुछ महिलाओं को काम और शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने वाले पुरुषों की मदद से शुरू किया था।^[35] 1927 में, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (एआईडब्ल्यूसी) का गठन महिलाओं की शिक्षा की वकालत करने के लिए किया गया था और 1952 और 1960 के बीच हिंदू संहिता विधेयकों के पारित होने में सहायक था।^[36] स्वतंत्रता के समर्थन में भारतीय विरोध प्रदर्शनों और जनसभाओं पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरोध में महिलाएं भी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थीं।

1970 के दशक में नारीवाद की नई लहर लैंगिक असमानता के मुद्दों और भारत में स्थिर विकास के जवाब में थी।^[37] भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति ने 1974 में एक रिपोर्ट जारी की, और लैंगिक समानता के प्रति सक्रियता के पुनरुत्थान में इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। रिपोर्ट में भारत में पुरुषों और महिलाओं के बीच लिंग अनुपात में असमानता, मृत्यु दर, रोजगार, साक्षरता और वेतन भेदभाव सहित महत्वपूर्ण अंतरों पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट ने भारत में महिलाओं के प्रति चल रहे भेदभाव को इंगित करके महिला आंदोलन को हवा दी।^[38] समान नागरिक संहिता, महिला आरक्षण विधेयक, और महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा जैसे मुद्दों पर विशेष जोर देने के साथ लैंगिक असमानता महिला आंदोलन का केंद्र बनी हुई है।^[39] अनौपचारिक और औपचारिक दोनों तरह के महिला संगठन भारत में ग्रामीण, शहरी, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विकसित हुए हैं। भारत में महिला संगठन पर्यावरण, गरीबी, सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे विभिन्न मुद्दों को संबोधित करते हैं।^[40] भारत में सबसे प्रमुख महिला संगठनों में से एक एआईडब्ल्यूसी है, जिसे 1927 में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने और शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थापित किया गया था। AIWC के भारत में 100,000 से अधिक सदस्य और 500 शाखाएँ हैं, और इसने शारदा अधिनियम के पारित होने में मदद की है, मातृत्व लाभ अधिनियम, और हिंदू कोड बिल।^[41]^[42]

भारतीय महिलाएं सक्रियतावाद के जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण रूप से शामिल हैं। 1970 के दशक में शुरू हुआ चिपको आंदोलन भारत में महिलाओं के आंदोलन के बीच सफलता का एक उदाहरण है, क्योंकि महिलाओं ने उत्तराखंड में वनों की कटाई का विरोध किया, जिससे क्षेत्र की सुरक्षा हुई।^[43] भारतीय स्वतंत्रता के बाद से, महिला संगठनों ने महिलाओं के प्रति हिंसा के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। महिला आंदोलनों ने बलात्कार, महिला मृत्यु दर, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज मृत्यु, सती और घरेलू दुर्व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया है।^[37] मथुरा बलात्कार कांड जैसी त्रासदी 1972 में, 1979 में तरविंदर कौर की दहेज मृत्यु, 1987 में सती प्रथा से रूप कंवर की मृत्यु, 1992 में भंवरी देवी के सामूहिक बलात्कार और 2012 में नई दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले ने आंदोलन को बलात्कार पर केंद्रित रखा है। और स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर कई महिला संगठनों को जन्म दिया।^[44]

निष्कर्ष

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का स्तर और स्वरूप काफी हद तक हिंसा, भेदभाव और निरक्षरता के रूप में सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाओं से निर्धारित होता है।

यौन हिंसा

मार्था नुसबौम ने हिंसा के खतरे के रूप में महिलाओं की राजनीति में भाग लेने की क्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा पर प्रकाश डाला।^[45] शिक्षा और विवाह के मुद्दों के कारण भारत में यौन हिंसा और भी गंभीर हो गई है। महिलाओं का यौन शोषण होता है। बाल विवाह, घरेलू हिंसा और कम साक्षरता दर ने भारतीय महिलाओं के आर्थिक अवसरों को कम किया है और भारत में यौन हिंसा में योगदान दिया है।^[46] 2011 के एक अध्ययन में पाया गया, "24% भारतीय पुरुषों ने अपने जीवन में किसी समय यौन हिंसा की है, 20% ने अपने भागीदारों को उनके साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया है ... 38% पुरुषों ने स्वीकार किया है कि

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 4, Issue 11, November 2017

उन्होंने अपने भागीदारों का शारीरिक शोषण किया था "।^[47] व्यापक यौन हिंसा को इस तथ्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है कि विवाह के भीतर हिंसा कानून के खिलाफ नहीं है, और यौन हिंसा काफी हद तक अप्रभावित रहती है।^[48] मार्था सी. नुसबौम का कहना है कि "बड़े समाज में, हिंसा और हिंसा का खतरा कई महिलाओं की सामाजिक और राजनीतिक संबंधों के कई रूपों में सक्रिय रूप से भाग लेने की क्षमता को प्रभावित करता है, सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए, सम्मानित प्राणी के रूप में पहचाने जाने के लिए जिसका मूल्य दूसरों के बराबर है।"^[45]

भेदभाव

हालांकि भारत के संविधान ने जाति और लिंग के बीच लैंगिक असमानताओं को हटा दिया, लेकिन भेदभाव महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के लिए एक व्यापक बाधा बना हुआ है। 2012 में 3,000 भारतीय महिलाओं के एक अध्ययन में भागीदारी में बाधाओं को पाया गया, विशेष रूप से राजनीतिक कार्यालय चलाने में, निरक्षरता के रूप में, घर के भीतर काम का बोझ, और नेताओं के रूप में महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार।^[49] सूचना और संसाधनों तक कम पहुंच सहित भारतीय महिलाओं को प्रस्तुत की गई सीमाओं में भेदभावपूर्ण रवैया प्रकट होता है। महिलाएं परिवार या गांव के सदस्यों, विशेष रूप से पुरुषों से जानकारी प्राप्त करने पर भरोसा करती हैं। महिलाओं में नेतृत्व के अनुभव की भी कमी होती है क्योंकि वे घरेलू कर्तव्यों के बोझ तले दबी होती हैं। घरेलू कर्तव्यों का बोझ एक महत्वपूर्ण कारण है कि क्यों कई भारतीय महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। पुरुषों के विपरीत, नेतृत्व कौशल हासिल करने के लिए महिलाओं को संगठनों में शामिल होने के कम अवसर मिलते हैं।^[50] उनके लिए बहुत कम सार्वजनिक स्थान है क्योंकि भारत में कई वर्षों तक राजनीतिक क्षेत्र में पुरुषों का वर्चस्व रहा है।^[51]

वर्ग द्वारा भेदभाव को और भी कायम रखा जाता है। भारत में सबसे निचली जाति की दलित महिलाओं के साथ सार्वजनिक पदों पर चुनाव लड़ने के लिए लगातार भेदभाव किया जाता है। भारत सरकार को दलितों और अनुसूचित जातियों के लिए सीटों के आरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन निर्वाचित अधिकारियों के रूप में सेवा करते समय महिलाओं को दुर्व्यवहार और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। दलित महिलाओं को सूचनाओं से वंचित रहने, बैठकों में नजरअंदाज करने या चुप कराने, और कुछ मामलों में उनके चुने हुए पद से हटाए जाने के लिए याचिका दायर करने से उत्पीड़न का अनुभव होता है।^[52] ^[53]

निरक्षरता

भारत केवल सबसे बड़ी निरक्षर आबादी है। जनवरी 2014 में, संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि भारत में सभी वयस्कों में से 25.6 प्रतिशत निरक्षर हैं।^[54] भारतीय महिलाओं में साक्षरता 65.46% है, जो पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% से बहुत कम है।^[55] निरक्षरता महिलाओं की राजनीतिक प्रणाली और मुद्दों को समझने की क्षमता को सीमित करती है। शोषण की समस्याएं, जैसे कि महिलाओं को मतदाता सूची से बाहर रखा जाना, निरक्षरता के रूप में सूचित किया गया है, जो महिलाओं को अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग सुनिश्चित करने की क्षमता को सीमित करता है।^[56] मार्शल ने राजनीतिक भागीदारी के बारे में कहा, "चूंकि साक्षरता सामान्य रूप से घर से बाहर जाने की क्षमता और इसके बाहर अपने दम पर खड़े होने की क्षमता से जुड़ी है, यह महिलाओं की अन्य महिलाओं से मिलने और सहयोग करने की क्षमता से भी जुड़ी है।"^[57] नीरजा जयाल और निर्मला बुच द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि "पंचायतों में अगर महिलाएं निरक्षर हैं तो उनका लगातार मजाक उड़ाया जाता है और उनका अवमूल्यन किया जाता है।"^[57] नुसबौम ने यह भी पाया कि साक्षरता राजनीति में महिलाओं की गरिमा और स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, उन्हें मेमो और समाचार पत्रों जैसे संचार तक पहुंच प्रदान करके, वे राजनीतिक मुद्दों पर बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।

भागीदारी की बाधाओं पर काबू पाना

भेदभाव और हिंसा के मुद्दों पर काबू पाने के लिए, महिला संगठनों ने भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। सशक्तिकरण परिवार के समर्थन और घर के भीतर बेहतर स्थिति से जुड़ा हुआ है, जो घरेलू और यौन हिंसा के खतरे से कम है।^[49] गरीबी और निरक्षरता जैसी सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ महिलाओं को सार्वजनिक पदों पर चुनाव लड़ने और यहाँ तक कि मतदान करने से भी रोकती हैं। पंचायत राज के नियमों को समझने में असमर्थता सार्वजनिक कार्यालय में भागीदारी के लिए आत्मविश्वास को कमजोर करती है।^[58] भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण "शिक्षा में अंतराल को पाटने, लैंगिक भूमिकाओं पर फिर से बातचीत करने, श्रम के लैंगिक विभाजन और पक्षपाती दृष्टिकोण को संबोधित करने" के माध्यम से भी हो सकता है।^[49] महिलाओं को परिवार द्वारा भाग लेने के लिए भी सशक्त बनाया जा सकता है, और जब पारिवारिक समर्थन मौजूद होता है तो उनके कार्यालय चलाने की संभावना अधिक होती है।^[49]

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 4, Issue 11, November 2017

भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला अधिकारिता मिशन (NMEW) के तहत महिलाओं के लिए सभी कार्यक्रमों को समेकित करके सशक्तिकरण के मुद्दे को संबोधित किया है। NMEW का मिशन "कौशल विकास, माइक्रो क्रेडिट, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्यमिता के माध्यम से लड़कियों और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाना है।" [59] 2001 में, भारत सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति पारित की। नीति "महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तिकरण" पर केंद्रित है। [60] विशेष रूप से, नीति लैंगिक असमानता और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने पर केंद्रित है। संयुक्त राष्ट्र ने भी भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए अभियान चलाकर भारत की महिलाओं के बीच सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया है। [61]

संदर्भ

1. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2012, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, स्विट्जरलैंड, पेज 16
2. ↑ भारत सरकार। "भारत का संविधान"। कानून और न्याय मंत्रालय। 22 मार्च 2014 को पुनःप्राप्त।
3. ^ "भारत का संविधान | विधायी विभाग | कानून और न्याय मंत्रालय | भारत सरकार"। विधायी.gov.in। 2014-02-20 को पुनःप्राप्त।
4. ^ भारत का संविधान। "राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत"। भारत सरकार। 22 मार्च 2014 को पुनःप्राप्त।
5. ^ प्रवीण, राय (14 जनवरी 2011)। "भारत में महिलाओं की चुनावी भागीदारी: प्रमुख निर्धारक और बाधाएं"। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक। एक्सवीएलआई(3): 47-55।
6. ^ मिश्रा, एचएन (2009)। भारत सरकार अधिनियम 1919 नियम और सरकारी रिपोर्ट 1920, आईएसबीएन 978-1-113-74177-6
7. ^ मुख्य चुनाव अधिकारी। "विभिन्न लोकसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत"। उत्तराखंड सरकार, भारत। 22 मार्च 2014 को पुनःप्राप्त।
8. ^ रुक्मिणी, एस (3 दिसंबर 2013)। "मतदान में वृद्धि के पीछे कौन है?"। द हिंदू। 22 मार्च 2014 को पुनःप्राप्त।
9. ↑ भारत निर्वाचन आयोग। "मतदाता सूची डेटा - 2013" (पीडीएफ)। 22 मार्च 2014 को पुनःप्राप्त।
10. ^ रुक्मिणी, एस (7 नवंबर 2013)। "बढ़ता महिला वोटर टर्नआउट, 50 साल की बड़ी कहानी"। द हिंदू। 22 मार्च 2014 को पुनःप्राप्त।
11. ^ टेम्बेकर, चित्तरंजन (8 मार्च, 2014)। "चुनाव आयोग फोटोयुक्त मतदाता पर्ची देगा"। टाइम्स ऑफ इंडिया। 28 मार्च 2014 को पुनःप्राप्त।
12. ^ राउत, अक्षय। "चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी"। भारत निर्वाचन आयोग। 22 मार्च 2014 को पुनःप्राप्त।
13. ^ -वार मतदानभारत सरकार (2014)
14. ^ "अधिक नारी शक्ति देखने के लिए 17 वीं लोकसभा"। दैनिक पायनियर। 25 मई 2016। 6 सितंबर 2016 को पुनःप्राप्त।
15. ^ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। "लिंग असमानता सूचकांक"। मानव विकास सूचकांक: एक सांख्यिकीय अद्यतन 2012। 22 मार्च 2014 को पुनःप्राप्त।
16. ↑ द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2013, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, स्विट्जरलैंड, टेबल 3बी और 5, पेज 13 और 19
17. ^ राय, एम शिरिनी। "दक्षिण एशिया में आरक्षित सीटें: एक क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य"। संसद में महिलाएं: संख्या से परे। {{cite web}}: लापता या खाली |url=(मदद)
18. ^ पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च। "महिला आरक्षण विधेयक [संविधान (108वां संशोधन) विधेयक, 2008]"। PRSIndia.org। 22 मार्च 2014 को पुनःप्राप्त।
19. ^ रमन, वसंती। "महिलाओं के लिए कोटा का कार्यान्वयन: भारतीय अनुभव" (पीडीएफ)। महिला विकास अध्ययन केंद्र। लोकतंत्र और चुनावी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान।
20. ^ पंचायती राज मंत्रालय। "पंचायतों में महिला आरक्षण"। प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार। 22 मार्च 2014 को पुनःप्राप्त।
21. ↑ कौल, शशि; श्रद्धा साहनी (2009)। "पंचायती राज संस्था में महिलाओं की भागीदारी पर अध्ययन"। गृह और सामुदायिक विज्ञान पर अध्ययन। 3 (1): 29-38। डीओआई: 10.1080/09737189.2009.11885273। एस2सीआईडी 39386599.

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 4, Issue 11, November 2017

22. ^ डीनिंगर, क्लॉस; हरि के. नागराजन (2011)। "क्या राजनीतिक आरक्षण महिलाओं को सशक्त बना सकता है और आर्थिक परिणामों को प्रभावित कर सकता है? ग्रामीण भारत से साक्ष्य" (पीडीएफ)। अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद। 4।
23. ^ चट्टोपाध्याय, राघवेंद्र; दुफ्लो, एस्टर (2004)। "नीति निर्माताओं के रूप में महिलाएं: भारत-व्यापी यादृच्छिक नीति प्रयोग से साक्ष्य"। अर्थमिति। 72(5): 1409-1443। डीओआई:10.1111/जे.1468-0262.2004.00539। एचडीएल: 1721.1/39126।
24. ^ सदन, निर्वाचन। "राजनीतिक दलों और चुनाव चिह्नों की सूची-संबंध में" (पीडीएफ)। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 24 मार्च 2014 को पुनःप्राप्त।
25. ^ बसु, अमृता। "महिलाएं, राजनीतिक दल और दक्षिण एशिया में सामाजिक आंदोलन" (पीडीएफ)। सामाजिक विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र अनुसंधान संस्थान। 24 मार्च 2014 को पुनःप्राप्त।
26. ^ बॉलिंगटन, जूली; और अन्य। (फरवरी 2012)। "मजबूत राजनीतिक दलों के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना: महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक गाइडबुक" (पीडीएफ)। संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संस्थान। 24 मार्च 2014 को पुनःप्राप्त।
27. ^ गोएटज़, ऐनी मैरी (2009)। शासी महिलाएं: लोकतंत्रीकरण और शासन सुधार के संदर्भ में महिलाओं की राजनीतिक प्रभावशीलता। न्यूयॉर्क: रूटलेज। पीपी। अध्याय 5।
28. ^ रमन, नाचम्माई (11 दिसंबर 2007)। "भारत में, केवल महिलाओं के लिए एक पार्टी"। क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर। 24 मार्च 2014 को पुनःप्राप्त।
29. ^ भालोत्रा, सोनिया; इरम क्लॉट्स-फ़िगुएरास; लक्ष्मी अय्यर (6 नवंबर, 2013)। "पाथ-ब्रेकर्स: कैसे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी चुनावी सफलता पर प्रतिक्रिया करती है?"। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। BGIE यूनिट वर्किंग पेपर नंबर 14-035। एसएसआरएन 2350805।
30. ^ स्पैरी, कैरोल (2014)। "महिला उम्मीदवार और भारत में पार्टी नामांकन के रुझान - 2009 के आम चुनाव से सबूत"। राष्ट्रमंडल और तुलनात्मक राजनीति। 52 (1): 109-138। डीओआई: 10.1080/14662043.2013.867691। एस2सीआईडी 73688993।
31. ↑ "50:50 सही है, टीएन लोकसभा चुनाव में सीमेन की महिला उम्मीदवारों को साबित करें"। न्यू इंडियन एक्सप्रेस। 5 मई 2014 को पुनःप्राप्त।
32. ↑ "सीमेन कोई सीट नहीं जीतता, लेकिन उनकी पार्टी छाप छोड़ती है"। टाइम्स ऑफ इंडिया। 5 मई 2014 को पुनःप्राप्त।
33. ^ "तमिलनाडु विधानसभा चुनाव: एनटीके ने 234 उम्मीदवार मैदान में उतारे, 50% महिलाएं"। टाइम्स ऑफ इंडिया। 5 मई 2014 को पुनःप्राप्त।
34. ^ विजयलक्ष्मी, वी (2005)। "नारीवादी राजनीति भारत में: महिला और नागरिक समाज सक्रियता" (पीडीएफ)। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान। वर्किंग पेपर। 24 मार्च 2014 को पुनःप्राप्त।
35. ^ सेन, समिता (अप्रैल 2000)। "एक नारीवादी राजनीति की ओर? ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय महिला आंदोलन"। लिंग और विकास पर नीति अनुसंधान रिपोर्ट। वर्किंग पेपर सीरीज नंबर 9: 14. CiteSeerX 10.1.1.195.9810।
36. ^ बसु, अपर्णा। "भारतीय महिला आंदोलन" (पीडीएफ)। फाउंडेशन कोर्स, मानवाधिकार, लिंग और पर्यावरण। दिल्ली विश्वविद्यालय। 24 मार्च 2014 को पुनःप्राप्त।
37. ^ अग्निहोत्री, इंदु; वीना मजूमदार (22 जुलाई, 1995)। "राजनीतिक प्रवचन की बदलती शर्तें: भारत में महिला आंदोलन, 1970-1990 के दशक"। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक। 30(29): 1869-1878।
38. ^ गुहा, फुलरेणु; और अन्य। (दिसंबर 1974)। "समानता की ओर: भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति की रिपोर्ट" (पीडीएफ)। भारत सरकार। शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय। 25 मार्च 2014 को पुनःप्राप्त।
39. ^ फड़के, शिल्पा (25 अक्टूबर, 2003)। "महिला अध्ययन महिला आंदोलन पर प्रतिबिंबित करता है"। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली: 4567। 25 मार्च 2014 को पुनःप्राप्त।
40. ^ सुब्रमण्यम, मंगला (नवंबर 2004)। "भारतीय महिला आंदोलन"। समकालीन समाजशास्त्र। 33 (6): 635-639। डीओआई: 10.1177/009430610403300603। जेएसटीओआर 3593826। एस2सीआईडी 77548925।
41. ^ ओ'ब्रायन, जोड़ी (2009)। "अखिल भारतीय महिला सम्मेलन"। लिंग और समाज का विश्वकोश। थाउज़ेंड ओक्स, सीए: सेज पब्लिकेशंस, इंक. डीई: 10.4135/9781412964517. एन17। आईएसबीएन 9781412964517.

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 4, Issue 11, November 2017

42. ^ अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। "उपलब्धियां"। 27 मार्च 2014 को पुनःप्राप्त।
43. ^ बसु, अमृता (सितंबर 1987)। "ग्रास रूट्स मूवमेंट्स एंड द स्टेट: रिप्लेक्शंस ऑन रेडिकल चेंज इन इंडिया"। सिद्धांत और समाज। 16 (5): 647-674। डीओआई: 10.1007/बीएफ00133391। एस2सीआईडी 189889105.
44. ^ बागरी, थिरानी। "भारत का नारीवादी आंदोलन कहाँ जा रहा है?"। द न्यूयॉर्क टाइम्स। 27 मार्च 2014 को पुनःप्राप्त।
45. ^ नुसबम, मार्था सी। (जुलाई 2005)। "महिलाओं के शरीर: हिंसा, सुरक्षा और क्षमताएं"। मानव विकास का जर्नल। 6(2): 173-174। साइटसेरएक्स 10.1.1.473.1687। डीओआई: 10.1080/14649880500120509. एस2सीआईडी 44200761.
46. ↑ नुसबौम, मार्था सी. (विवर 2002)। "सेक्स, कानून और असमानता: भारत संयुक्त राज्य अमेरिका को क्या सिखा सकता है" (पीडीएफ)। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज। 27 मार्च 2014 को पुनःप्राप्त।
47. ^ "भारतीय पुरुष सबसे अधिक यौन हिंसक, छह विकासशील देशों के सर्वेक्षण कहते हैं"। इन्फोचेंज वूमेन। मार्च 2011. मूल से 3 जून 2011 को पुरालेखित। 27 मार्च 2014 को पुनःप्राप्त।
48. ^ राज, अनीता; लोटस मैकडॉगल (8 मार्च 2014)। "यौन हिंसा और भारत में बलात्कार"। द लैंसेट। 383 (9920): 865. डीओआई: 10.1016/S0140-6736(14)60435-9. पीएमआईडी 24607092। एस2सीआईडी 205972324.
49. ^ महिलाओं पर शोध के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला (2012)। "भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के अवसर और चुनौतियाँ: भारत में चुनिंदा जिलों से शोध निष्कर्षों का एक संश्लेषण" (पीडीएफ)। 16 दिसंबर, 2013 को मूल (पीडीएफ) से संग्रहीत। 27 मार्च 2014 को पुनःप्राप्त।
50. ^ मोहन, शांता; और अन्य। "महिलाएं और भारत में राजनीतिक भागीदारी" (पीडीएफ)। अंतर्राष्ट्रीय महिला अधिकार कार्रवाई वॉच एशिया पैसिफिक। 23 अप्रैल 2014 को पुनःप्राप्त।
51. ^ छिब्रर, प्रदीप (2002)। "क्यों कुछ महिलाएं राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं? भारत में घरेलू, सार्वजनिक स्थान और राजनीतिक भागीदारी"। तुलनात्मक समाजशास्त्र का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल। 43 (409): 409-429। डीओआई: 10.1177/002071520154300310। एस2सीआईडी 14019894.
52. ^ मंगूभाई, जयश्री (12-13 नवंबर 2009)। "दलित महिलाओं की प्रभावी राजनीतिक भागीदारी के लिए बाधाएं"। अल्पसंख्यक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र दूसरा मंच।
53. ↑ नवसर्जन ट्रस्ट, एफडीआईओ, और इंटरनेशनल दलित सॉलिडैरिटी नेटवर्क। "दलित ग्रामीण महिलाओं की स्थिति" (पीडीएफ)। CEDAW ग्रामीण महिलाओं पर सामान्य टिप्पणी। 8 अप्रैल 2014 को पुनःप्राप्त।
54. ^ "वयस्क निरक्षरता में भारत शीर्ष पर: संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट"। द हिंदू। 29 जनवरी 2014। 23 अप्रैल 2014 को पुनःप्राप्त।
55. ↑ भारत की जनगणना। "साक्षरता और शिक्षा का स्तर"। भारत सरकार। 23 अप्रैल 2014 को पुनःप्राप्त।
56. ↑ डीपी, डीपी "पंजाब में महिला नेतृत्व पर 73वें संशोधन अधिनियम का प्रभाव" (पीडीएफ)। पंजाब यूनिवर्सिटी, पटियाला। 23 अप्रैल 2014 को पुनःप्राप्त।
57. ^ नुसबम, मार्था सी। (2004)। "महिला शिक्षा: एक वैश्विक चुनौती"। संकेत। 29(2): 325-355। डीओआई: 10.1086/378571. एस2सीआईडी 144593937.
58. ^ राय, प्रज्ञा। "राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अधिकारिता: बिहार, भारत में स्थानीय सरकारी संस्थानों में महिलाएं" (पीडीएफ)। स्टॉकहोम विश्वविद्यालय, राजनीति विज्ञान विभाग। 9 अप्रैल 2014 को पुनःप्राप्त।
59. ^ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन। "मुख्य रणनीतियाँ"। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार। 23 अप्रैल 2014 को पुनःप्राप्त।
60. ↑ भारत सरकार। "महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति"। 24 अप्रैल 2014 को पुनःप्राप्त।
61. ^ भारत में संयुक्त राष्ट्र। "लैंगिक समानता और अधिकारिता"। संयुक्त राष्ट्र। 23 अप्रैल 2014 को पुनःप्राप्त।